दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) 910/2024 & सि.वि. आ. 3776/2024

नीतू ग्रोवर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री तुषार कुमार, श्री जुनैद कुरैशी, सुश्री दिशानी गुहा, सुश्री वर्णिका बजाज और श्री ऋषभ कपूर, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अपूर्व कुरुप, के.स.व.अधि., प्रत्य-1/भा.सं. के साथ श्री अखिल हसीजा, अधिवक्ता और सुश्री अर्चना सुर्वे, स.अभि.

निर्णय की तिथि: 22 जनवरी, 2024

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>सि.वि. आ. 3776/2024 (छूट के लिए)</u>

सभी न्यायसंगत अपवादों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या. (सि) 910/2024</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ('एचएमए अधिनियम') की धारा 5 (v) ('आक्षेपित धारा') को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट जारी करवाना चाहती है।

याचिकाकर्ता की दलीलें

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत तथ्यों से पता चलता है कि हालांकि उसकी शादी उसके दूर के चचेरे भाई श्री गगन ग्रोवर के साथ परिवारजनों की आपसी सहमति से और नागरिक समाज के सदस्यों की उपस्थिति में धार्मिक समारोह आयोजित करके संपन्न हुई थी, श्री गगन ग्रोवर एक सक्षम न्यायालय से एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) के अधीन घोषणा की मांग करके विवाह को अकृत और शून्य घोषित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता श्री गगन ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकार हो गई है, जिन्होंने उसे अपनी शादी की वैधता में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह खुद तब से एचएमए अधिनियम की आक्षेपित धारा के आह्वान के कारण वैध विवाह से जुड़े कानूनी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं।

2.1 उनका कहना है कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह भारत के दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में एक स्थापित प्रथा है। उनका कहना है कि उक्त क्षेत्रीय राज्यों में उक्त विवाह प्रथा के प्रमाण के

कारण संरक्षित हैं; हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले में, अपने समुदाय में रिवाज के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थता के कारण; मुकदमे के दौरान श्री गगन ग्रोवर के साथ उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया है। उनका कहना है कि इसलिए आक्षेपित धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

2.2 उन्होंने कहा कि एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) के अस्तित्व के बावजूद, आमतौर पर विवाह उन पक्षों के बीच भी संपन्न होते हैं जो एक-दूसरे से *सपिंड* के रूप में संबंधित होते हैं, यहां तक कि रिवाज के प्रमाण के अभाव में भी यह नागरिक समाज में प्रचलित है। इसलिए, ऐसी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आक्षेपित धारा को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उदारीकृत करने और प्रभावित महिलाओं की रक्षा के लिए आक्षेपित धारा को समाप्त करना आवश्यक है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

3. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

4. जैसा कि इस याचिका की प्रार्थना (ख) और (ग) से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता एचएमऐ संख्या 396/2003 में एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.10.2007 के निर्णय और डिक्री से काफ़ी व्यथित है, जिसमें घोषणा की गई है कि याचिकाकर्ता और उसके दूर के चचेरे भाई श्री गगन ग्रोवर के बीच विवाह एचएमऐ अधिनियम की धारा 5 (v) के उल्लंघन

में हुआ था और इसलिए, यह अमान्य है। सक्षम न्यायालय के उक्त निर्णय पर याचिकाकर्ता ने वै.आ. (एफसी) 35/2023 के माध्यम से आक्षेप किया था; हालाँकि, उक्त अपील को भी इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 09.10.2023 के निर्णय के तहत खारिज कर दिया है।

5. याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों में, सक्षम न्यायालयों इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि याचिकाकर्ता और श्री गगन ग्रोवर दोनों *सपिंड* की प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं, जैसा कि एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) में निर्धारित है और इसलिए यह विवाह अमान्य था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों की जांच करने के बाद उक्त न्यायालयों ने माना है कि याचिकाकर्ता पक्षकारों के समुदाय में *सपिंड* विवाह की किसी प्रथा या चलन के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थ रही थी, और, इसलिए, यह माना गया है कि श्री गगन ग्रोवर के साथ याचिकाकर्ता का विवाह किसी प्रथा या चलन के अपवाद के आधार पर बचाया नहीं जा सकता।

6. याचिकाकर्ता एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) को इस आधार पर चुनौती देना चाहता है कि हालांकि उसके दूर के चचेरे भाई श्री गगन ग्रोवर के साथ उसकी शादी सहमति से हुई थी, उसने याचिकाकर्ता और उसके बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आक्षेपित धारा के माध्यम से त्याग दिया है। याचिकाकर्ता आक्षेपित धारा द्वारा निषेध के अस्तित्व के ज्ञान से इनकार नहीं करती है, लेकिन कानूनी रूप से निषेध होने के बावजूद वह अपने दूर के भाई के साथ अपनी शादी को सही ठहराने के लिए माता-पिता की

सहमति को आधार बनाती है। याचिकाकर्ता यह आरोप लगाती है कि उक्त प्रावधान उसके दूर के भाई जैसे पुरुषों के हाथों में शोषण का एक साधन है। आक्षेपित धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया है।

7. संसद द्वारा अधिनियमित क़ानून की संवैधानिकता के पक्ष में एक उपधारणा है। वे आधार जिन पर संसद द्वारा अधिनियमित क़ानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, वे सुव्यवस्थित हैं, जैसा कि ***डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत और अन्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है।

8. किसी क़ानून को असंवैधानिक तभी घोषित किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता का यह मुद्दा है कि विधायिका के पास ऐसा क़ानून पारित करने की विधायी क्षमता नहीं है या क़ानून के प्रावधान भारत के संविधान के भाग- III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संबंधित विधायिका ने अपने आवश्यक विधायी कार्य को त्याग दिया है या आक्षेपित प्रावधान किसी भी तरह से मनमाना, अनुचित या अस्पष्ट है। भारत के संक्षिप्त संविधान (16$^{वां}$ संस्करण, 2021) में डी.डी. बासू ने उन आधारों की गणना की है जिन पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है: -

> *(क) संविधान के भाग III में निर्दिष्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन।*

(ख) संबंधित अनुबंधों के साथ पढ़े जाने वाले किसी ऐसे विषय पर विधान बनाना जो सातवीं अनुसूची द्वारा दी गई शक्तियों के वितरण द्वारा संबंधित विधायिका को सौंपा नहीं गया है।

(ग) संविधान के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन जो विधायिका की शक्तियों जैसे अनुच्छेद 301 को परिसीमित करे।

(घ) राज्य कानून के मामले में, यह अमान्य होगा क्योंकि यह राज्य की सीमाओं से परे काम करेगा।

(ङ) जब संबंधित विधायिका ने संविधान द्वारा सौंपे गए अपने आवश्यक विधायी कार्य को त्याग दिया है या उस शक्ति का किसी अन्य निकाय को अत्यधिक प्रत्यायोजन किया है।

9. जब कभी किसी प्रावधान की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो कानून के प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव/परिणाम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ***नमित शर्मा बनाम भारत संघ, (2013) 1 एससीसी 745*** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

*"20. हिंसा विरोधक संघ बनाम मिर्जापुर मोती कुरेश जमात [(2008) 5 एससीसी 33] में बूचड़खानों को बंद करने के मामले से निपटते हुए, न्यायालय ने आ.प्र. सरकार बनाम पी लक्ष्मी देवी [(2008) 4 एससीसी 720] में अपने पुराने निर्णय को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों द्वारा इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक नियम निर्धारित किया था कि **न्यायालय को क़ानून या यहां तक कि किसी***

प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेते समय न्यायिक संयम बरतना चाहिए और केवल तभी जब संवैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन उचित संदेह से परे होता पाया जाए, न्यायालय को प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए....."

(ज़ोर दिया गया)

10. हमारी सुविचारित राय है कि उक्त आक्षेपित प्रावधान को चुनौती देने के लिए कानून में कोई तर्कसंगत आधार इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान या याचिका में दलील के दौरान नहीं रखा गया है।

11. इस चरण पर एचएमऐ अधिनियम की आक्षेपित धारा 5 (v) का उल्लेख करना उचित है जो निम्नानुसार है:

*"5. **हिंदू विवाह की शर्तें** - किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात:-*

(क) शादी के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं हो ;

(ख) विवाह के समय, कोई भी पक्ष इस स्थिति में न हो: (क) मन की अस्वस्थता के परिणामस्वरूप विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थ हो; या (ख) वैध सहमति में सक्षम होने के बावजूद भी, इस तरह कि और इस स्तर तक मानसिक विकार से पीड़ित हो कि वह शादी और बच्चों के प्रजनन के लिए अयोग्य हो; या (ग) पागलपन के आवर्तक घटनाओं का शिकार रहा हो;

(ग) विवाह के समय दूल्हे ने इक्कीस वर्ष की आयु और दुल्हन ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(घ) पक्ष प्रतिषिद्ध कोटि के संबंध में नहीं हैं, जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाला रिवाज या चलन दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है;

(ङ) ***<u>पक्ष एक-दूसरे के सपिंड नहीं हैं, जब तक कि हर एक को शासित करने वाली प्रथा या चलन दोनों के बीच विवाह की अनुमति दे</u>"***

(ज़ोर दिया गया)

आक्षेपित उप-धारा यह अधिनियमित करती है कि कोई भी विवाह उन पक्षों के बीच नहीं किया जा सकता है जो एक-दूसरे से *सपिंड* के रूप में संबंधित हैं, जब तक कि इस तरह के विवाह को पक्षों को नियंत्रित करने वाले चलन या प्रथा द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। वह प्रथा जो उन व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति देती है जो एक दूसरे के *सपिंड* हैं को एक वैध और मौजूदा प्रथा के प्रमाण की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसा कि आक्षेपित धारा में और एचएमए अधिनियम की धारा 3 (अ) के तहत परिकल्पित है, जो अभिव्यक्ति 'प्रथा' और 'चलन' को परिभाषित करती है।

12. आक्षेपित धारा में प्रतिबंधों को चुनौती देने के संदर्भ में, ***सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में माननीय न्याय. पीएस नरसिम्हा की सहमति की राय का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया है कि विवाह

का अधिकार राज्य के विनियमन के अधीन एक सांविधिक अधिकार है। उक्त बाध्यकारी राय में जो निष्कर्ष वर्तमान रिट याचिका में उठाई गई चुनौती के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैं:

"585. सबसे पहले, मैं अपने निष्कर्षों को निर्धारित करूंगा, जो न्यायमूर्ति भट की राय के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं।

.....

ग. <u>संविधान द्वारा गारंटीकृत विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है जो इसे मौलिक स्वतंत्रता के योग्य बनाए।</u> इस संबंध में, मैं न्यायमूर्ति भट की राय से सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ अतिरिक्त कारणों जोड़ना चाहूँगा।

घ. <u>विवाह का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और जिस हद तक यह प्रदर्शनीय है, एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रथागत से निकलने वाला अधिकार है। इस तरह के वैधानिक या प्रथागत अधिकार के प्रयोग में, राज्य व्यक्तियों को कानून का संरक्षण देने का विस्तार करने के लिए बाध्य है, ताकि वे बिना किसी डर और जबरदस्ती के अपने विकल्पों का प्रयोग कर सके</u>। यह, मेरी राय में, शफीन जहाँ बनाम अशोक के.एम.1283 और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के निर्णयों का वास्तविक निचोड़ है

सामाजिक संस्था के रूप में विवाह और विवाह करने के अधिकार की स्थिति

586. मेरी राय में, यह विवादस्पद *नहीं है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है, और यह कि हमारे देश में, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाजों और प्रथाओं द्वारा बाध्य है। यह कुछ समुदायों*

में एक संस्कार है, कुछ अन्य में एक अनुबंध है। संहिताकरण के रूप में राज्य विनियमन, अक्सर विवाह की संस्था के प्रथागत और धार्मिक आधारों को दर्शाता है। विवाह के उद्देश्य की पहचान या उसके 'सच्चे' चरित्र की खोज एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी खोज है जो मानव अस्तित्व के उद्देश्य के प्रश्न समान ही विविध और रहस्यवादी है; और इसलिए, न्यायिक विचार के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन यह इस संस्था को उन लोगों के लिए अर्थहीन या अमूर्त नहीं बनाता है जो अपने तरीके से इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं।

587. भारत में, एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की बहुविधता, कानूनी रूप से किसी एक संस्थान द्वारा विनियमित नहीं है। जब तक विवाह और परिवार को नियंत्रित करने वाले नियमों के संहिताकरण का औपनिवेशिक अभ्यास शुरू नहीं हुआ, तब तक विवाह और परिवार को नियंत्रित करने वाले नियम काफी हद तक प्रथागत थे, जो अक्सर धार्मिक अभ्यास में निहित होते थे। संहिताकरण की यह कवायद, जो हमेशा सटीक नहीं होती और कई बार बहिष्कारपूर्ण होती है, हमारी सामाजिक संस्थाओं को ढालने और फिर से परिकल्पित करने की औपनिवेशिक इच्छा का उत्पाद थी। हालांकि, जो निर्विवाद है, वह यह है कि हमारे अपने सामाज सुधारकों द्वारा प्रेरित किया गया, औपनिवेशिक संहिताकरण अभ्यास ने कुछ विधायी उपकरण उत्पन्न किए, जिससे प्रणालीगत असमानताएं में कई आवश्यक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। जिस संवैधानिक परियोजना को हमने वर्ष 1950 में अपनाया था, ने कुछ सामाजिक पुनर्रचना की मांग की संस्थानों और संविधान अपनाने के आधे दशक के भीतर, हमारा स्वदेशी संहिताकरण और व्यक्तिगत सुधारविवाह और परिवार को नियंत्रित करने वाले कानून चल रहे थे।

588. ***यहां तक कि जब हमारे अपने संवैधानिक राज्य ने संहिताकरण और सुधार का प्रयास किया, तब भी इसने प्रथागत प्रथाओं के सह-अस्तित्व के लिए जगह छोड़ दी, कभी-कभी ऐसी प्रथागत प्रथाओं को विधायी महत्व प्रदान किया। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iv), धारा 5 (v), धारा 7 और धारा 29 (2) इस संबंध में उदाहरण हैं।*** *इसी तरह, धारा 4 (घ) और धारा 15 (v) के प्रावधानों में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 प्रथागत प्रथाओं को बचाता है, जिसके बिना विवाह अन्यथा अमान्य होता है। विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 4 (v) के प्रावधान के मामले में भी यही मामला है। विशेष विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 5 में प्रथागत प्रथाओं का विधायी समायोजन भी परिलक्षित होता है।*

589. विवाह की संस्था का कानूनी विनियमन जैसा कि आज मौजूद है, विवाह के अनुष्ठान या समारोह का विनियमन, साथी की पसंद, भागीदारों की संख्या, वयस्क होने के बावजूद विवाह की योग्यता की आयु, विवाह के भीतर आचरण और विवाह से बाहर निकलने की शर्तें शामिल हैं।

590. समारोह और अनुष्ठानों के रूप में, विशेष विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 2, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 3 (ख), भारतीय विवाह की धारा 10, 11 और 25, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 स्पष्ट रूप से उस केंद्रीय भूमिका को पहचानती है जो धार्मिक समारोह विवाह के अनुष्ठापन में निभाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 स्पष्ट रूप से विवाह के लिए पर्सनल लॉ के आवेदन को बचाता है, जिसमें समारोह की प्रकृति भी

शामिल है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो विवाह को संपन्न करने में शामिल विविध धार्मिक प्रथाएँ निर्विवाद हैं।

591. ***जीवनसाथी का चुनाव निरपेक्ष नहीं है और द्विआयामी नियमों के अधीन है: (क) जीवनसाथी की न्यूनतम आयु और (ख) प्रतिषिद्ध कोटि के रूप में बहिष्करण।*** *अधिकांश विधानों में पुरुष और महिला विवाह के लिए न्यूनतम आयु अलग-अलग है। इस प्रकार पुरुष, जो अन्यथा वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके हैं, इन अधिनियमों के तहत शादी नहीं कर सकते हैं, भले ही वे अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कई अन्य वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हों।*

592. ***नातेदारी की प्रतिषिद्ध कोटि की अवधारणा, वैधानिक रूप से उत्कीर्ण है*** *विशेष विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 5, पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 3 (अ),* ***हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (घ) और (v)*** *और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 (घ) और धारा 15 (v)।* ***जिन व्यक्तियों ने इन अधिनियमों के तहत विवाह की अपेक्षित आयु प्राप्त कर ली है, उनकी पसंद और सहमति क्षमता इस सीमा तक प्रतिबंधित है।***

593. ***मेरी सुविचारित राय में, विवाह का संस्थागत स्थान विधायी हस्तक्षेप, प्रथागत प्रथाओं और धार्मिक विश्वासों द्वारा समकालिक रूप से प्रतिबंधित और सुस्थापित है।*** *प्रथागत और धार्मिक प्रथाओं का मौजूदा विधायी समायोजन अनावश्यक नहीं है और कुछ हद तक धर्म के अधिकार और संस्कृति के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 में संवैधानिक रूप से मान्य है। विवाह का यह सुस्थापित संस्थागत स्थान समकालिक रूप से हमारी सामाजिक और संवैधानिक वास्तविकताओं का एक उत्पाद है, और इसलिए, मेरी राय में, तुलनात्मक न्यायिक*

दृष्टिकोण बहुत कम सहायता प्रदान करते हैं। ***एक संस्था के रूप में विवाह की इस प्रकृति को देखते हुए, जीवनसाथी चुनने का अधिकार और विवाह की संस्था के भीतर मान्यता प्राप्त होने के लिए एक सहमति वाले जोड़े के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कहा जा सकता है।***

(ज़ोर दिया गया)

13. आक्षेपित धारा पर माननीय न्यायाधीश की पूर्वोक्त राय में विचार किया गया है और इसकी विनियामक प्रकृति को पैराग्राफ 591 में अनुमोदन के साथ नोट किया गया है। निर्णय की उपरोक्त सहमति की राय में चर्चा याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर उठाई गई चुनौती को नकारती है क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने माना है कि विवाह में एक साथी का चुनाव पूर्ण नहीं है और नियमों के अधीन है, जिसमें प्रतिषिद्ध कोटि का अपवर्जन शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त राय में कहा कि एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) संहिताकरण के माध्यम से सामाजिक सुधार राज्य की आशा है। हमारी राय है कि यदि विवाह में साथी की पसंद को अनियमित छोड़ दिया जाता है, तो अगम्यगमनात्मक संबंध वैधता प्राप्त कर सकते हैं।

14. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, वर्तमान रिट में याचिकाकर्ता आक्षेपित धारा में निहित निषेध को चुनौती देने के लिए कोई आधार निर्धारित करने में विफल रही है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता आक्षेपित धारा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए किसी भी कानूनी

आधार की वकालत करने में विफल रही है। याचिका न तो राज्य द्वारा लगाए गए उक्त प्रतिबंध के आधार की पहचान करती है और न ही उक्त आक्षेपित धारा को चुनौती देने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार प्रदान करती है। यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि आक्षेपित धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि आक्षेपित धारा में अपवाद केवल कानून के बल वाले प्रथा के आधार पर व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए है, जिसके लिए कड़े प्रमाण की आवश्यकता होती है और इसके अस्तित्व पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता मामले के तथ्य में प्रथा के अस्तित्व को साबित करने में विफल रही है और उसने माता-पिता की सहमति पर भरोसा किया है जो प्रथा की जगह नहीं ले सकता है।

15. इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में एचएमए अधिनियम की धारा 5 (v) को चुनौती देने में कोई गुणागुण नहीं पाता है।

16. प्रार्थना में मांगी गई राहत के संबंध में (iii) यह विशेष रूप से श्री गगन ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मांगी गई है जो इस याचिका के पक्षकार नहीं हैं और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर नहीं दी जा सकती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उचित न्यायलय के समक्ष श्री गगन ग्रोवर के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. इसके अलावा, प्रार्थना सं. (ii) खंड न्यायपीठ के दिनांक 09.10.2023 के निर्णय के मद्देनजर पोषणीय नहीं है क्योंकि यह घोषणा कि विवाह धारा 5 (v) के उल्लंघन में था, अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

18. पूर्वोक्त निर्देश के साथ वर्तमान याचिका और आवेदनों का निपटान किया जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्याय.

जनवरी 22, 2024/एचपी/एसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण*: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।